निर्णय बइजालास मोहन लाल प्रतिहार (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ (राज0)
प्रकरण सं 532 / 2010
वाद दायरा 533 / 2010

तारीख दायरा– 01.07.2010
तारीख दायरा – 01.07.2010

उनवान

ताराचन्द पुत्र कन्हैयालाल जाति भोई निवासी झालावाड़ तह0 झा0पाटन –वादी

बनाम

1. रमेशचन्द पुत्र कन्हैयालाल
2. देवीलाल पुत्र कन्हैयाल
3. श्रीमती रूकमणी पुत्री कन्हैयालाल पत्नी मोतीलाल
4. जगदीश पुत्र कन्हैयालाल
5. सुरेश पुत्र कन्हैयालाल
6. बाबूलाल पुत्र कन्हैयालाल
7. बबली पुत्री कन्हैयालाल पत्नी पप्पू
8. श्रीमती सुन्दरबाई वेवा पत्नी कन्हैयालाल अकवाम जाति भोई निवासी झालावाड़
9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार झालरापाटन –प्रतिवादीगण

वाद धारा 53, 209, एवं 88, 91, 92ए, 209 आरटीए

उपस्थित– विद्वान अभिभाषक – श्री बद्रीलाल महेश्वरी–वादी
विद्वान अभिभाषक– श्री कालू सिंह–प्रतिवादीगण

निर्णय

निर्णय दिनांक – 28.08.2019

संक्षेप में प्रकरण संख्या 532 / 10 के तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम झालावाड़ में खेवट संख्या 60 जमाबंदी सम्वत् 2062–2065 की खसरा नम्बर 78 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 83 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 84 रक़बा 4 बिस्वा जिसमें चाही दोयम 2 बिस्वा एवं जाव दोयम 2 बिस्वा है तथा खसरा नम्बर 96 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 97 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 98 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 105 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 106 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 107 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 108 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 109 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 110 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 130 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 131 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 173 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 174 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 176 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 184 रकबा 6 बिस्वा श्री कन्हैयालाल के देहावसान के बाद वादी तथा प्रतिवादीगण के नाम चढ़ गई जो राजस्व अधिकारियों ने बिना वादी को पूछे तथा सुने चढ़ाया। प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 130, खसरा नम्बर 131, खसरा नम्बर 173, खसरा नम्बर 174, खसरा नम्बर 184, खसरा नम्बर 170 रकबा 3 बिस्वा पैटा कुल 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि को कन्हैयालाल पुत्र मूलचन्द जाति भोई निवासी राड़ी के बालाजी रोड़ फिल्टर टेंक के पास झालावाड़ ने वादी को 29.7.2007 को हिबा कर दी है क्योंकि प्रश्नगत आराजी 2 बीघा 11 बिस्वा श्री कन्हैयालाल की स्व अर्जित आराजी थी जिस बाबत् हिबानामा वादी के पक्ष में रूबरू गवाहान देवीलाल तथा पप्पू उर्फ बाबूलाल प्रमाणीकरण के गवाहान के सामने वादी के पक्ष में निष्पादित करा दिया गया था जिसको अब्दुल रहीम टाइपिस्ट ने टाइप किया था। 100 रू0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प एक हरे कागज पर कन्हैयालाल ने सम्पूर्ण होश हवाश में बिना धोंस दवाव, बिना नशा पत्ते की हालत में निष्पादित किया है। इस प्रकार खसरा नम्बर 130 की 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 131 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 173 रकबा 1 बिस्वा, नम्बर 174 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 184 रकबा 6 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 170 खसरा रकबा 3 बिस्वा कुल 2 बीघा 11 बिस्वा पांचों खसरा नम्बर की भूमि वाके ग्राम झालावाड़ का वादी खातेदार टीनेन्ट है तथा वादी उक्त आराजी को अपने खाते घोषित कराने का हकदार है।

तथा पैरा नम्बर झालावाड़ में खेवट संख्या 60 जमाबंदी सम्वत् 2062–2065 की खसरा नम्बर 78 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 83 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 84 रकबा 4 बिस्वा जिसमें चाही दोयम 2 बिस्वा एवं जाव दोयम 2 बिस्वा है तथा खसरा नम्बर 96 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 97 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 98 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 105 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 106 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 107 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 108

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़ (राज0)

P.T.O

Scanned by CamScanner

रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 109 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 110 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 130 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 131 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 173 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 174 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 176 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 184 रकबा 6 बिस्वा श्री कन्हैयालाल के देहावसान के बाद वादी तथा प्रतिवादीगण के नाम चढ़ गई जिसमें वादी का 1/9 हिस्सा है जो कानून सम्वत विभाजन के बाद वादी उसके हिस्से में आने वाली आराजियात को दर्ज कराने का पात्र है।

इसी प्रकार प्रश्नगत आराजी से संबंधित प्रकरण संख्या 533/10 ताराचन्द बनाम रमेशचन्द वगैरा सम्मिलित किया गया है जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं :–

ग्राम झालावाड में खेवट संख्या 60 जमाबंदी सम्वत् 2062–2065 की खसरा नम्बर 78 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 83 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 84 रकबा 4 बिस्वा जिसमें चाही दोयम 2 बिस्वा एवं जाव दोयम 2 बिस्वा है तथा खसरा नम्बर 96 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 97 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 98 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 105 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 106 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 107 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 108 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 109 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 110 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 130 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 131 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 173 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 174 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 176 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 184 रकबा 6 बिस्वा श्री कन्हैयालाल के देहावसान के बाद वादी तथा प्रतिवादीगण के नाम चढ़ गई तथा खसरा नम्बर 130 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 131 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 173 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 174 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 184 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 170 रकबा 3 बिस्वा कुल रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम झालावाड़ वादी खातेदार टीनेन्ट है जिसमें राजस्व अधिकारी द्वारा गलत इन्द्राज कर दिया गया है। कन्हैयालाल जो फरीकेन के पिता थे के देहावसान के बाद वादी ने राजस्व अधिकारियों को उक्त खसरा नम्बरों को वादी को हिबा करने बाबत् सूचित किया था जिस बाबत् नामान्तरकरण संख्या 975 के खाना नम्बर 16 में पटवारी हल्का ने रिपोर्ट की है किन्तु राजस्व अधिकारी ने गलत तौर से वादी को सुने दिनांक 3.10.2008 को फरीकेन के नाम इन्तकाल तस्दीक कर दिया। हिबानामे के आधार पर उक्त खसरा नम्बरान 130 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 131 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 174 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 184 रकबा 6 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 170 रकबा 3 बिस्वा वाके माल झालावाड को अपने खाते घोषित कराने का पात्र है। प्रश्नगत आराजी में से 2 बीघा 11 बिस्वा पर वादी तन्हा खातेदार है काबिज काश्त है तथा पिता की मृत्यु के बाद से लगातार कब्जा है। प्रश्नगत आराजी को वादी ने खाते चढ़ाने बाबत् निवेदन किया किन्तु प्रतिवादीगण 13.6.2010 को इनकार हो गए इसलिए वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

वाद संख्या 532/2010 एवं 533/2010 एक ही आराजी से संबंधित होने से इनको दिनांक 22.6.2011 को समेकित किया गया। दोनों वादों को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को सुनवाई का अवसर दिया गया। प्रतिवादीगणों ने दिनांक 17.1.2011 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा पत्रावली तनकी में रखी गई। दावा एवं जवाबदावे के आधार पर दोनों वादों में एक ही तनकीयात कायम की गई जो इस प्रकार है :

1. आया आराजी खसरा नम्बर 130, 131, 174, 184, 170 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा ग्राम झालावाड़ का वादी दावे की मद नम्बर 2 में वर्णित प्लीडिंग के आधार पर स्वयं को इनका खातेदार टीनेन्ट घोषित कराने का पात्र है। – वादी
2. आया वादी ने कन्हैयालाल जो फरिकेन के पिता थे के देहावसान के बाद राजस्व अधिकारियों उसके पक्ष में किये गये हिबानामा दिनांक 29.6.2007 सूचित किया था जिस बाबत् नामान्तरकरण संख्या 975 के खाना नम्बर 16 में पटवारी की रिपोर्ट है किन्तु राजस्व अधिकारियों ने गलत तौर से वादी को सुने बिना दिनांक 3.10.2008 को इन्तकाल खोल दिया जिसका वादी पर असर। –वादी
3. आया वादी उसे हिबा की गयी आराजियात पर दिनांक 29.6.2007 से काबिज है – वादी
4. आया कन्हैयालाल दिनांक 18.6.2007 को लकवे की बीमारी हो गई थी जिस कारण बोल नहीं सकते थे –प्रतिवादीगण
5. आया हिबा नामे पर कन्हैयालाल का अंगूठा निशानी फर्जी है जिसका दावे पर असर – प्रतिवादीगण
6. आया हिबानामे पर खसरा नम्बर बाद में लिखे गए है जिसका दावे पर असर – प्रतिवादीगण
7. आया हिबानामा डिफेक्टिव है। – प्रतिवादीगण

P.To

Scanned by CamScanner

8. अनुतोष

न्यायालय द्वारा पत्रावली में तनकीयात कायम की जाकर तनकीवाइज विस्तृत विवेचन दस्तावेजों की रोशनी एवं पत्रावली में उपलब्ध गवाहों के बयान तथा वकील उभय पक्षकारों की बहस सुनने के बाद विवेचन इस प्रकार से किया जाता है :-

1. इस तनकी के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सम्वत् 2066-2069 प्रदर्श 1 प्रस्तुत की है तथा प्रदर्श 2 नामान्तरकरण संख्या 975 दिनांक 3.10.2008 पेश की है तथा गवाहों के बयान से स्पष्ट है कि वादी के पिता स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल जो कि प्रश्नगत आराजी में से खसरा नम्बर 130, 131, 174, 184, 170 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा आराजी जो वादी के पिता की स्वअर्जित थी जिसको हिबानामे के आधार पर दिनांक 29.6.2007 को दान कर दी थीं हिबानामा वादी के पिता ने पूर्ण होश हवाश में गवाहों के समक्ष प्रमाणीकरण कराके वादी को दान कर दी थी जिसके आधार पर वादी प्रश्नगत आराजी को अपने खाते दर्ज कराने का हकदार है तथा घोषणा का पात्र है। अतः इस तनकी का निर्णय वादी के पक्ष में तय किया जाता है।
2. इस तनकी के समर्थन में वादी ने नामान्तरणकरण संख्या 975 प्रदर्श-2 कराया है जिसमें कॉलम नम्बर 16 में पटवारी द्वारा हिबानामे के आधार पर खसरा नम्बर 130, 131, 174, 184, 170 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा आराजी को दानपात्र के माध्यम से वादी के पक्ष में इन्तकाल खोले जाने की सिफारिश की थी। राजस्व अधिकारियों ने बिना किसी नियम एवं विधि सम्मत कानून को नजर अन्दाज करते हुए मृतक कन्हैयालाल के समस्त वारिसान के नाम रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा में नाम चढा दिया। नाम चढाने से पूर्व नियमों की रोशनी में राजस्व अधिकारियों को नाम चढ़ाने का और पटवारी द्वारा की गई सिफारिश को नजरअन्दाज कर कन्हैयालाल के वारिसान के नाम वादी को प्राप्त हिबानामे के आधार पर आराजी रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा में प्रतिवादीगणों के नाम अंकित करना चाहिए। अतः इस तनकी का निर्णय भी वादी के हक में तय किया जाता है।
3. इस तनकी के समर्थन में प्रदर्श-5 हिबानामा दिनांक 29.6.2007 प्रदर्श कराया है तथा गवाहों के बयान दर्ज कराये गए जिससे वादी प्रश्नगत आराजी का खातेदार घोषित होने योग्य है तथा वादी प्रश्नगत आराजी पर काबिज काश्त है। इस तनकी का निर्णय वादी के हक में किया जाता है।
4. इस तनकी के समर्थन में प्रतिवादी ने वादी के पिता स्व० कन्हैयालाल को दिनांक 18.6.2007 लकवे की बीमारी होने से बोलना नहीं बताया गया है जिसके कारण वो वादी के पक्ष में हिबानामा नहीं लिख सकते। इस तथ्य के समर्थन में प्रतिवादी ने रेफरल कार्ड ईएक्सडी 2, डी 3 प्रस्तुत किये तथा भारत विकास परिषद में 18.6.2007 से 20.6.2007 को कोटा में इलाज होना बताया जबकि वादी के पक्ष में स्व० कन्हैयालाल ने हिबानामा दिनांक 29.6.2007 को तस्दीक कराया। इससे यह साबित नहीं होता है कि वादी के पिता दौराने हिबानामा पूर्ण होश हवाश में ना हो क्योंकि हिबानामे की इबारत में स्पष्ट अंकन है कि स्व० कन्हैयालाल ने हिबानामा अपने पूर्ण होश-हवाश में लिखाया है तथा वादी को 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि दान में दी है जिसका वो खातेदार घोषित होने योग्य है। इसलिए इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी के विरूद्ध तय किया जाता है।
5. इस तनकी के समर्थन में प्रतिवादी ने ऐसा कोई साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो सके कि वादी के पिता स्व० कन्हैयालाल ने जो हिबानामा है उस पर फर्जी अंगूठा या निशानी हो। हिबानामा सही या गलत तय करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर मान० सिविल न्यायालय को जाता है जिसके लिए प्रतिवादी को प्रश्नगत हिबानामे को सिविल कोर्ट में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। अतः इस तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किया जाता है।
6. इस तनकी के समर्थन में हिबानामे पर खसरा नम्बर बाद में लिखे गए हो प्रतिवादी ने ऐसा कोई साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत नहीं किया है अतः इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी के विरूद्ध तय किया जाता है।
7. इस तनकी के समर्थन में उभय पक्षकारान वकील वादी ने जिरह में बताया कि अगर हिबानामा डिफेक्टिव है तो इस हेतु प्रतिवादीगण को मान० सिविल न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिए था तथा हिबानामा डिफेक्टिव है तो इस संदर्भ में कोई पुख्ता साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है अतः इस तनकी का निर्णय विरूद्ध प्रतिवादीगण किया जाता है।

P.T.O

Scanned by CamScanner

अनुतोष :— पत्रावली में प्रकरण संख्या 532/10 एवं 533/2010 दोनों में वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा तनकीयात का विस्तृत विवेचन किये जाने के पश्चात् यह तय हो जाता है कि ग्राम झालावाड़ में खेवट संख्या 60 जमाबंदी सम्वत् 2062—2065 की खसरा नम्बर 78 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 83 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 84 रकबा 4 बिस्वा जिसमें चाही दोयम 2 बिस्वा एवं जाव दोयम 2 बिस्वा है तथा खसरा नम्बर 96 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 97 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 98 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 105 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 106 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 107 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 108 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 109 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 110 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 130 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 131 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 173 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 174 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 176 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 184 रकबा 6 बिस्वा में वादी का 1/9 हिस्सा बनता है जिसको वो पृथक विभाजन कराने का कानूनन अधिकारी है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 130, 131, 170, 174, 184 कुल रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा जो वादी के पिता स्व0 श्री कन्हैयालाल ने जो उनकी स्वअर्जित आराजी थी को वादी के हक में दिनांक 29.6.2007 को हिबेनामे के आधार पर दान कर दी थी जिसके आधार पर वादी प्रश्नगत आराजी 2 बीघा 11 बीघा का खातेदार घोषित होने योग्य है। अतः प्रकरण 532/10 प्राथमिक डिक्री किये जाने योग्य है तथा प्रकरण संख्या 533/10 हिबानामे आधार पर फर्द डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

प्रकरण संख्या 532/10 प्राथमिक डिक्री किया जाता है तथा आदेश है कि ग्राम झालावाड़ में खेवट संख्या 60 जमाबंदी सम्वत् 2062—2065 की खसरा नम्बर 78 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 83 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 84 रकबा 4 बिस्वा जिसमें चाही दोयम 2 बिस्वा एवं जाव दोयम 2 बिस्वा है तथा खसरा नम्बर 96 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 97 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 98 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 105 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 106 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 107 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 108 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 109 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 110 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 130 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 131 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 173 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 174 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 176 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 184 रकबा 6 बिस्वा में वादी का 1/9 हिस्सा पृथक किया जाता है। तहसीलदार झालरापाटन राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के तहत अच्छी से अच्छी बुरी से बुरी का बंटवारा कर वादी का खाता पृथक किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्राथमिक डिक्री जारी हो।

प्रकरण संख्या 533/10 वाद वादी फर्द डिक्री किया जाता है तथा आदेश है कि ग्राम झालावाड़ के खाता संख्या 60 की खसरा नम्बर 130 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 131 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नं0 174 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 184 रकबा 6 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 170 रकबा 3 बिस्वा कुल रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा का दिनांक 29.6.2007 को वादी के पिता स्व0 कन्हैयालाल द्वारा हिबानामे के आधार पर दान की गई आराजी का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है तथा जमाबंदी खेवट संख्या 60 से उक्त खसरा नम्बरान से रद्द किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। फर्द डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(मोहनलाल प्रतिहार)
उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

Scanned by CamScanner

प्राथमिक / फर्द डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, झालावाड़

पीठासीन अधिकारी :- उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़

उनवान

ताराचन्द पुत्र कन्हैयालाल जाति भोई निवासी झालावाड़ तह0 झा0पाटन —वादी

बनाम

1. रमेशचन्द पुत्र कन्हैयालाल
2. देवीलाल पुत्र कन्हैयाल
3. श्रीमती रूकमणी पुत्री कन्हैयालाल पत्नी मोतीलाल
4. जगदीश पुत्र कन्हैयालाल
5. सुरेश पुत्र कन्हैयालाल
6. बाबूलाल पुत्र कन्हैयालाल
7. बबली पुत्री कन्हैयालाल पत्नी पप्पू
8. श्रीमती सुन्दरबाई बेवा पत्नी कन्हैयालाल अकवाम जाति भोई निवासी झालावाड़
9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार झालरापाटन —प्रतिवादीगण

वाद धारा 53, 209, एवं 88, 91, 92ए, 209 आरटीए

प्रकरण सं 532/2010 तारीख दायरा:— 01.07.2010

वाद दायरा 533/2010 तारीख दायरा :— 01.07.2010

निर्णय दिनांक : 28.08.2019

प्रकरण संख्या 532/10 प्राथमिक डिक्री किया जाता है तथा आदेश है कि ग्राम झालावाड में खेवट संख्या 60 जमाबंदी सम्वत् 2062—2065 की खसरा नम्बर 78 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 83 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 84 रकबा 4 बिस्वा जिसमें चाही दोयम 2 बिस्वा एवं जाव दोयम 2 बिस्वा है तथा खसरा नम्बर 96 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 97 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 98 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 105 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 106 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 107 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 108 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 109 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 110 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 130 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 131 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 173 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 174 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 176 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 184 रकबा 6 बिस्वा में वादी का 1/9 हिस्सा पृथक किया जाता है। तहसीलदार झालरापाटन राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के तहत अच्छी से अच्छी बुरी से बुरी का बंटवारा कर वादी का खाता पृथक किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है।

प्रकरण संख्या 533/10 वाद वादी फर्द डिक्री किया जाता है तथा आदेश है कि ग्राम झालावाड़ के खाता संख्या 60 की खसरा नम्बर 130 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 131 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नं0 174 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 184 रकबा 6 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 170 रकबा 3 बिस्वा कुल रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा का दिनांक 29.6.2007 को वादी के पिता स्व0 कन्हैयालाल द्वारा हिबानामे के आधार पर दान की गई आराजी का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है तथा जमाबंदी खेवट संख्या 60 से उक्त खसरा नम्बरान से रदद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। फर्द डिक्री जारी की जाती है।

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 28.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर,........

वाद के खर्चे

Scanned by CamScanner